

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
समक्ष : मनोज गोयल  
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1620-तीन/2011 विरुद्ध आदेश दिनांक  
28-06-2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण क्रमांक  
182/अपील/2007-08

.....  
फूलसिंह पुत्र श्री कोमलसिंह लोधी,  
निवासी ग्राम दिघावन, तहसील उदयपुरा  
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरुद्ध

शिवप्रसाद पुत्र श्री परसराम शर्मा वारिसान :-

- (1) श्रीमती शीलाबाई बेवा स्व0शिवप्रसाद शर्मा
- (2) ओमकार पुत्र स्व0शिवप्रसाद शर्मा
- (3) कमलेश पुत्र स्व0शिवप्रसाद शर्मा
- (4) असलेश पुत्र स्व0शिवप्रसाद शर्मा
- (5) राजू पुत्र स्व0शिवप्रसाद शर्मा
- (6) श्रीमती मुन्नीबाई पुत्री स्व0शिवप्रसाद शर्मा
- (7) श्रीमती मालती पुत्री स्व0शिवप्रसाद शर्मा
- (8) श्रीमती कांति पुत्री स्व0शिवप्रसाद शर्मा

निवासीगण ग्राम दिघावन तहसील उदयपुरा  
जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदकगण

- - -  
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, आवेदक  
श्री राकेश गिरी, अभिभाषक, अनावेदकगण  
- - -





**:: आदेश ::**

(आज दिनांक 31/3/16 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-06-2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण के पूर्वज शिवप्रसाद द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा देवरी के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व एवं स्वामित्व की ग्राम दिघावन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 235 रकवा 0.50 एकड़ है, उसके द्वारा कराये जाने पर उपरोक्त भूमि में से 0.04 एकड़ पर आवेदक फूलसिंह का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः उसे कब्जा दिलाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-70/2003-04 दर्ज कर दिनांक 30-06-2006 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल करने के आदेश दिये गये साथ ही राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि वे कब्जा दिलाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26-10-2007 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28-6-2011 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में पहले दिनांक 16-5-2005 की पेशी नियत की गई थी । बाद में दिनांक 20-5-2005 की पेशी कर दी गई और उभयपक्ष की उपस्थिति दर्ज कर दी, जबकि आवेदक को उक्त पेशी की सूचना नहीं दी गई । यह भी कहा गया




कि बिना आवेदक को सूचना दिये उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने में नायब तहसीलदार द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। इस आधार पर कहा गया कि तहसीलदार न्यायालय में आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक का यह कथन त्रुटिपूर्ण है कि 38 वर्ष से मकान बना हुआ है जबकि आवेदक द्वारा भूमि क़य करने के पश्चात् मकान बनाया गया है और अनावेदक की भूमि पर आवेदक का नाम नहीं बना है। इस आधार पर कहा गया कि यदि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का मकान छोड़कर यदि अन्य पर अनावेदक की भूमि पर कब्जा किया गया है तो उसे बेदखल कर दिया जाये, उसे कोई आपत्ति नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को पुराने मकान से बेदखल नहीं किया जाये, क्योंकि अभिभाषक ने स्वयं स्वीकार किया है कि आवेदक द्वारा नया मकान बनाया गया है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।


4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन पंचनामे पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं। यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा सीमांकन को चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता में हुये संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय न्यायालय को साक्ष्य लेने की अधिकारिता प्राप्त है और यदि आवेदक के पास उसके पक्ष में कोई साक्ष्य थी तो उसे अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये थी, इस आधार पर कहा गया कि यदि आवेदक के पास विक्रय पत्र था तब उन्हें व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत आवेदन पत्र के साथ विक्रय पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कृषि भूमि पर मकान बना है इसलिये संहिता की धारा 250 लागू होगी। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में एक बार गलत आदेशिका लिखे जाने से प्रकरण के तथ्य नहीं बदलते, क्योंकि उसके बाद लगभग डेढ़ वर्ष तक प्रकरण चला है और




उसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न शिवप्रसाद के कथन से स्पष्ट है कि शिवप्रसाद द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आवेदक का मकान लगभग 15-20 वर्षों से बना हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि आवेदक द्वारा नया निर्माण कर अनावेदक की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, तब पुराने मकान को छोड़कर शेष भूमि से आवेदक को बेखल किया जाता है तो उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में स्पष्टतः स्वीकार किया गया है कि आवेदक का मकान छोड़कर शेष भूमि पर यदि आवेदक का कब्जा निकलता है तो वह छोड़ने को तैयार है, अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का पुराना मकान छोड़कर यदि शेष भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण पाया जाता है तो बेदखली की कार्यवाही करें।

*Am*

  
( मनोज गोयल )

अध्यक्ष,  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर